

प्रेषक

दीपक कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला परियोजना समिति,  
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक : 6ए-2सामु०सह०/शारदा/ 113 /2022-23 लखनऊ दिनांक: ०५ अप्रैल, 2023

विषय: 'स्कूल चलो अभियान-2023' के अन्तर्गत आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु परिवार सर्वेक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० के पत्रांक : 6ए-2सामु०सह०/शारदा/13722/2022-23 दिनांक : 30 मार्च, 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु कार्यक्रम 'शारदा' (SHARDA : School Har Din Aayen) संचालित करने के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश एवं हाउस होल्ड सर्वे हेतु प्रपत्र प्रेषित किए गये हैं।

2. उल्लेखनीय है कि दिनांक : 01 अप्रैल, 2023 को 'स्कूल चलो अभियान-2023' के शुभारम्भ के अवसर पर मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० द्वारा यह निर्देश दिए गए कि बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के सभी परिवारों का सर्वेक्षण कराया जाए और यह ज्ञात किया जाए कि किस परिवार में कितने बच्चें विद्यालय जाने की उम्र के हैं तथा उनमें से कितने वास्तव में विद्यालयों में नामांकित हैं। यदि विद्यालय जाने की उम्र का कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित नहीं है तो उसे निकटतम विद्यालय में नामांकित कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

3. उक्त के क्रम में राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ०प्र० के पत्रांक : 6ए-2सामु०सह०/शारदा/13722/2022-23 दिनांक : 30 मार्च, 2023 को अतिक्रमित करते हुए शैक्षिक सत्र 2023-24 में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु प्रदेश के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं :-

- i. निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि 06-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जो आउट ऑफ स्कूल हैं उनका चिह्नीकरण करते हुए उनका नामांकन आयुसंगत कक्षा में कराया जाये और उन बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने की व्यवस्था की जाये। उक्त प्रावधान को प्रभावी रूप में क्रियान्वित करने हेतु

समय-समय पर शासनदेशों के माध्यम से प्रतिवर्ष जिलाधिकारी के निर्देशन में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन व नामांकन का वृहद अभियान संचालित किया जाता है। आउट ऑफ स्कूल बच्चे 02 श्रेणी के हो सकते हैं :-

(क) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में कभी भी नामांकन नहीं किया गया हो।

(ख) ऐसे बच्चे जिनका विद्यालय में पूर्व में नामांकन हुआ था किन्तु किन्हीं कारणवश अपनी शिक्षा पूरी किये बिना विद्यालय छोड़ गये अर्थात् ड्राप आउट हो गये।

- ii. शैक्षिक सत्र 2023-24 में जनपद के समस्त 06-14 आयु वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हांकन एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन विद्यालय के प्रधानाध्यापकों/अध्यापकों/शिक्षामित्रों/अनुदेशकों/बी0टी0सी0 प्रशिक्षुओं/स्वयं सेवी संस्थाओं/अन्य विभागों के कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाएगा। विद्यालयों से सेवित बस्तियों/मजरों/वाडों में स्थित परिवारों को विद्यालय के प्रधानाध्यापक, अध्यापक, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों के मध्य यथा सम्भव बराबर-बराबर बॉटकर सर्वेक्षण किया जाएगा।
- iii. शैक्षिक सत्र 2023-24 में परिवार सर्वेक्षण अभियान दिनांक 1.04.2023 से 15.05.2023 तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि में सभी ग्रामीण एवं नगरीय परिवारों, ईट भट्ठों, खदानों, कारखानों, होटलों, ढाबों, असेवित एवं मलिन बस्तियों, जन-जातीय व घुमन्तू समुदायों आदि एवं मौसमी पलायन से प्रभावित परिवारों का सर्वेक्षण करते हुए आउट ऑफ स्कूल बच्चों का चिन्हीकरण एवं आयु संगत कक्षा में नामांकन दिनांक 1.04.2023 से 15.05.2023 की अवधि में किया जायेगा। परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र (संलग्नक-1), आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हीकरण एवं नामांकन के विवरण हेतु सर्वे प्रपत्र (संलग्नक-2) एवं सर्वे प्रपत्रों में उपयोग किए जाने वाले कोड का विवरण (संलग्नक-3) संलग्न है।
- iv. परिवार सर्वेक्षण प्रपत्र (संलग्नक-1) को विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखा जाएगा तथा परिवार सर्वेक्षण प्रपत्रों के विवरण को दिनांक : 31.05.2023 तक प्रेरणा पोर्टल के 'परिवार सर्वेक्षण DCF' पर प्रधानाध्यापकों द्वारा अपलोड किया जाएगा।
- v. विशिष्ट आवश्यकता वाले आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन का कार्य भी साथ ही साथ किया जायेगा तथा चिन्हांकन के बाद आयु संगत कक्षा में नामांकन कराया जायेगा।
- vi. पलायन करने वाले बच्चों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे बच्चे को पलायन किए जाने वाले स्थान के निकटतम विद्यालय में माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आधार नामांकन कराया जा सके। (संलग्नक-4)
- vii. कक्षा 2 से 8 में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का पहला मूल्यांकन (बेसलाइन एसेसमेंट) चिन्हांकन से 15 दिन के बाद शारदा एप्प के माध्यम से किया जायेगा। दूसरा मूल्यांकन माह अक्टूबर में, तीसरा मूल्यांकन माह जनवरी में तथा चौथा मूल्यांकन माह मार्च में किया जायेगा। एसेसमेंट के परिणामों के आधार पर नोडल

अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षण योजना तैयार की जायेगी।

- viii. यदि आउट ऑफ स्कूल बच्चों की नियमित उपस्थिति एवं उनकी शिक्षण-अधिगम व्यवस्था पर समुचित ध्यान नहीं दिया जायेगा तो इन बच्चों के पुनः ड्राप आउट होने की प्रबल सम्भावना बनी रहेगी। अतएव इन बच्चों की उपस्थिति का अनुश्रवण विशेष प्रशिक्षण हेतु नामित नोडल शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का ठहराव सुनिश्चित करने एवं मुख्यधारा में लाने हेतु इन बच्चों के अभिभावकों को उनकी अर्हता के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। (संलग्नक-5)
- ix. विद्यालयों में आयुसंगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को उनकी कक्षा के अनुरूप अधिगम स्तर तक लाने हेतु शारदा संघनित पाठ्यक्रम के आधार पर विशेष प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जायेगी। इस हेतु नोडल अध्यापक को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है, जिनके द्वारा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बच्चों के लिए अधिगम सामग्री तथा संघनित पाठ्य पुस्तकें (कंडेंसड टेक्सट बुक्स), आदि उपलब्ध करायी जाएंगी, जिसके आधार पर विशेष प्रशिक्षण सम्पादित किया जायेगा।
- x. आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नीकरण एवं नामांकन के अनुश्रवण हेतु शारदा पोर्टल/शारदा मोबाइल एप्प विकसित किया गया है तथा शारदा पोर्टल का समस्त डाटा बेसिक शिक्षा विभाग के प्रेरणा पोर्टल से इन्टीग्रेट किया गया है।
- xi. स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा प्रतिमाह 20 विद्यालयों का अनुश्रवण किया जायेगा एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन, मूल्यांकन एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना शारदा एप्प के माध्यम से अपलोड करायी जायेगी।
- xii. जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शारदा पोर्टल पर प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा और पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा करायी जायेगी।
- xiii. भारत सरकार के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या : 8-94/2020-IS-15 दिनांक 8 जून, 2021 के क्रम में खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रबंध पोर्टल पर आउट ऑफ स्कूल बच्चों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित बच्चों की मैपिंग, उपस्थिति इत्यादि की सूचना जो अपलोड की जा रही है उसे जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी से सत्यापित कराया जायेगा।
- xiv. कार्यक्रम के संचालन हेतु बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए गाइडलाइन्स संलग्न हैं। (संलग्नक-6)

4. आपसे अपेक्षित है कि कृपया उपरोक्त कार्यक्रम को प्राथमिकता प्रदान करते हुए अपने कुशल नेतृत्व में समयबद्ध रूप से क्रियान्वित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,



(दीपक कुमार)  
अपर मुख्य सचिव

पृष्ठांक संख्या : 6ए-2सामु0सह0/शारदा/ 113 / लखनऊ दिनांक : तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
2. श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश, सर्वोदय नगर जी0टी0 रोड़, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।
3. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक, (बेसिक), उ0प्र0 बेसिक शिक्षा निदेशालय, लखनऊ।
6. निदेशक, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
9. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
10. निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
11. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
12. शिक्षा विशेषज्ञ, यूनीसेफ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
13. प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
14. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश।
15. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
16. खण्ड शिक्षा अधिकारी, समस्त विकास खण्ड, उत्तर प्रदेश।
17. जिला समन्वयक (सामु0सह0) समग्र शिक्षा, समस्त जनपद।



(दीपक कुमार)  
अपर मुख्य सचिव

परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप

संलग्नक-1

जनपद		ब्लाक / नगर		न्याय पंचायत		ग्राम पंचायत/वार्ड/ मजरा का नाम							
<b>परिवार के मुखिया के जानकारी</b>													
(राशन कार्ड न० यदि उपलब्ध हो)	परिवार के मुखिया का नाम	आयु	लिंग*	धर्म*	वैवाहिक स्थिति*	सामाजिक वर्ग*	शैक्षिक योग्यता*	व्यवसाय*	परिवार की अनुमानित आय	मोबाइल न.	घर का स्वामित्व*	बी . पी .एल / ए . पी .एल	पूर्ण पता (मकान न. सहित )

परिवार के सदस्यों का विवरण (जिनकी उम्र 14 वर्ष से अधिक हो)

क्र.स	नाम	आयु	लिंग	मोबाइल न०	वैवाहिक स्थिति	शैक्षिक योग्यता	व्यवसाय	मुखिया से सम्बन्ध*
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

बच्चों का विवरण (जिनकी उम्र 0-14 वर्ष हो)

क्र.स	बच्चे का नाम	आयु	लिंग	पिता का नाम	माता का नाम	मुखिया से सम्बन्ध*	क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है (हाँ / नहीं )	यदि हाँ तो कक्षा	विद्यालय -यू-डायस / आंगनवाड़ी - केंद्र का कोड	विद्यालय का नाम / आंगनवाड़ी केंद्र का नाम	यदि नहीं, तो 7 से 14 वर्ष की आयु के आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु संलग्नक-2 भरें।
1											
2											
3											
4											
5											

नोट:- \*लिंग, \*धर्म, \*सामाजिक वर्ग, \*वैवाहिक स्थिति, \*शैक्षिक योग्यता, \*व्यवसाय, \*घर का स्वामित्व, \*मुखिया से सम्बन्ध एवं \*विद्यालय न जाने के कारण का कोड सं0 के लिए संलग्नक-3 का संदर्भ लें।

5

सर्वेक्षणकर्ता का नाम:

मोबाइल नं:

विभाग/संस्था का नाम:

सर्वेक्षण की तिथि:

हस्ताक्षर

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन एवं नामांकन हेतु सर्वेक्षण प्रपत्र

संलग्नक -2

वर्ष 2023-24

आयु वर्ग: 7-14 वर्ष

जनपद का नाम.....				विकास खण्ड/जोन क्षेत्र का नाम.....								ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....									
न्याय पंचायत/वार्ड का नाम.....												बस्ती/मजरे का नाम.....									
क्र.स.	बच्चे का नाम	पिता का नाम	माता का नाम	अभिभावक का नाम *	बच्चे का पूर्ण पता	मोबाइल न० (माता/पिता/अभिभावक में से किसी एक का)	लिंग (कोड भरें)	बच्चे की आयु	क्या बच्चा दिव्यांग है (1-हाँ/2-नहीं)	सामाजिक वर्ग (1-सामान्य, 2-अनु० जा०, 3-अनु०ज० जा०, 4-अन्य पि० वर्ग)	धर्म (कोड भरें)	क्या बच्चे का कभी विद्यालय में नामांकन हुआ था (1-हाँ/2-नहीं)	यदि हाँ तो पूर्ण की गयी अधिकतम कक्षा (कक्षा 1-8 तक भरें)	ग्रुप/आउट की अनुमानित अवधि (माह में संख्या में लिखें)	विद्यालय न जाने का कारण (कोड देखकर भरें)	क्या बच्चे का विद्यालय में नामांकन कराया गया है (हाँ)	विद्यालय में नामांकन की कक्षा (कक्षा 1-8 तक भरें)	यदि नामांकन कराया गया है तो विद्यालय का यू-डाउस कोड लिखें	विद्यालय का नाम	बच्चे का एम.आर न. (रजिस्टर से देख कर भरें)	बच्चे का रोल न. (रजिस्टर से देख कर भरें)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					

नोट: \* माता/पिता/ अभिभावक में से किन्हीं दो के नाम लिखना अनिवार्य है।

\*\* लिंग, धर्म, सामाजिक वर्ग, एवं विद्यालय न जाने के कारणों हेतु कोड संख्या अंकित करें। कोड सं० के लिए संलग्नक 2ए का संदर्भ लें।

सर्वेक्षक का नाम:	मोबाइल न. :	विभाग/संस्था का नाम:	सर्वेक्षण की तिथि:	हस्ताक्षर
-------------------	-------------	----------------------	--------------------	-----------

नोट : सर्वेक्षण प्रारूप को भरते समय दिए गए कोड का प्रयोग करे जिससे आपको पोर्टल मे एंट्री करते समय असुविधा न हो

*लिंग कोड	
1	पुरुष
2	महिला
3	ट्रांस जेंडर

*धर्म कोड	
1	हिन्दू
2	मुस्लिम
3	ईसाई
4	सिख
5	बोद्ध
6	जैन
7	पारसी
8	अन्य

*वैवाहिक स्थिति	
1	विवाहित
2	अविवाहित
3	विधवा
4	विधुर
5	तलाकशुदा

*सामाजिक वर्ग	
1	सामान्य
2	अन्य पिछड़ा वर्ग
3	अनुसूचित जाति
4	अनुसूचित जनजाति

*शैक्षिक योग्यता	
1	डॉक्टरेट
2	एम. फिल
3	परास्नातक
4	स्नातक
5	डिप्लोमा
6	इंटरमीडिएट
7	हाईस्कूल
8	आई टी आई
9	कक्षा 8 एवम उससे नीचे
10	अशिक्षित

*व्यवसाय	
1	छात्र
2	स्वरोजगार
3	गृहणी
4	बेरोजगार
5	मजदूर
6	किसान
7	सरकारी कर्मचारी
8	प्राइवेट कर्मचारी

*घर का स्वामित्व	
1	निजी भवन
2	किराये का भवन

*मुखिया से सम्बन्ध	
1	दादा
2	दादी
3	भाई
4	बहन
5	चाचा
6	चाची
7	नाना
8	नानी
9	बुआ
10	फूफा
11	माता
12	पिता
13	अभिभावक
14	अन्य
15	पत्नी
16	पति

*विद्यालय न जाने के कारण	
1	अपने घर के कार्यों में लगा रहना
2	कचरा बीनना/स्टेशन/बस स्टेशन आदि पर
3	घरेलू नौकर
4	ईट भट्टों व खदानों में काम करना
5	गेराज/फैक्ट्री में काम करना
6	कृषि व्यवसाय
7	पुरतैनी दस्तकारी
8	छोटे होटलों/ढाबों में काम करना
9	भाई बहनों की देखभाल करना
10	विद्यालय दूर होने का कारण
11	कक्षा-कक्ष में छात्र संख्या अधिक होना
12	शिक्षक का व्यवहार अनुचित होना
13	पढ़ाई में कठिनाई के कारण
14	बाल विवाह
15	परिवार घुमन्तू होने के कारण
16	गरीबी के कारण
17	गंभीर दिव्यान्गता
18	पलायन

## माइग्रेशन प्रमाण पत्र

### Migration Certificate

#### TO WHOM IT MAY CONCERN

**विशिष्ट छात्र सं०-** 000000000000

फोटो

छात्र/छात्रा नाम:

जन्म तिथि :

आयु :

लिंग-:

श्रेणी/वर्ग :

CWSN (हाँ/नहीं)

पिता का नाम:

माता का नाम:

माता-पिता /अभिभावक का मोबाईल न.:

विधालय में प्रवेश का दिनांक:

विद्यालय छोड़ने की दिनांक:

विधालय में प्रवेश की कक्षा :

वर्तमान में बच्चे की कक्षा :

विधालय छोड़ने का कारण:

**मूल निवास का पता:**

बस्ती/मोहल्ला:

न्याय पंचायत:

ग्राम पंचायत/वार्ड:

विकास खंड/ज़ोन:

जनपद:

एतदद्वारा उपर्युक्त विवरण प्रमाणित किया जाता है।

(यह कम्प्यूटर जनित प्रति है। इसके भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है।)

## सोशल सिक्यूरिटी प्लान (सामाजिक सुरक्षा योजना) के किर्यान्वयन हेतु रणनीति

- प्रधानाध्यापक और एसएमसी सदस्य संयुक्त रूप से चिन्हित आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों को मानदंडों के आधार पर सूचीबद्ध करने की दिशा में काम करेंगे। (लाभ हेतु मानदंडों योजनों का विवरण संलग्न)
- प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों के विवरण के साथ उपरोक्त लाभों/योजनाओं के साथ प्रारूप को भरा जायेगा (प्रपत्र संलग्न ) जिसका लाभ बच्चे / परिवार को लाभ सुनिश्चित कराने के लिए किया जा सकता है।
- पूर्व से विद्यालयों में नामांकित बच्चों को भी उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है; जैसे कि BoCW योजना छात्रवृत्ति
- एसएमसी द्वारा बच्चों का विवरण एवं योजनाओं के विवरण की सूची सहित ग्राम प्रधान को प्रस्तुत किया जायेगा
- ग्राम प्रधान द्वारा सर्वे में चिन्हित एवं नामांकित आउट ऑफ़ स्कूल बच्चों को योजनाओं में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी
- एसएमसी सदस्यों एवं अध्यक्षों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची का ग्राम प्रधान द्वारा अपने सत्र से सत्यापन करते हुए अनंतिम सूची तैयार की जाएगी
- उन योजनाओं के लिए जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारी (जैसे श्रम विभाग से सम्बंधित योजनाएँ) के हस्तक्षेप की आवश्यकता है, ग्राम प्रधान द्वारा एस.डी एम् / बी.डी. ओ. के माध्यम से जिला अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी

गाँव का नाम ..... ग्राम पंचयत का नाम .....

विकास खण्ड का नाम:.....जनपद का नाम:.....

ग्राम प्रधान का नाम .....प्रधानाध्यपक का नाम :.....विद्याला का नाम .....

क्र. सं.	बच्चे का नाम	माता का नाम	पिता का नाम	लिंग (बालक/ बालिका)	कक्षा	चिन्हांकन का मापदंड/ आउट ऑफ़ स्कूल होने का कारण	बच्चे हेतु लागू योजना का नाम	अभिभावक/ संरक्षक हेतु लागू योजना
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

## सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	मानदंड	लागू योजना	लागू राशि / लाभ
1	एकल माँ के द्वारा पालन किये जाने वाला बच्चा	माता के लिए विधवा पेंशन पीडीएस (राशन कार्ड) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा	रु.500 प्रति माह
2	एक या दोनों माता-पिता विकलांग	दिव्यांग पेंशन योजना पीडीएस (राशन कार्ड) के माध्यम से खाद्य सुरक्षा	रु.500 प्रति माह
3	विकलांग बच्चे	दिव्यांग पेंशन योजना	रु.500 प्रति माह
4	18 साल से कम उम्र में काम करना।	बाल श्रमिक विद्या योजना	बालकों के लिए रु. 1000 प्रति माह बालिकायों के लिए रु. 1200 प्रति माह
5	परिवार को सहयोग प्रदान करने हेतु बच्चे द्वारा बाल मजदूरी	बाल श्रमिक विद्या योजना	बालकों के लिए रु. 1000 प्रति माह बालिकायों के लिए रु. 1200 प्रति माह
6	माता-पिता द्वारा मौसमी पलायन	माता-पिता के लिए मनरेगा जॉब कार्ड मुद्रा योजना के तहत ऋण BoCW के तहत लाभ अगर माता-पिता इस योजना के तहत पंजीकृत हैं	मुद्रा योजना: स्वरोजगार के लिए 50,000 - 10,00,000 तक का ऋण। BoCW-छात्रवृत्ति कक्षा 5-7 में पढ़ने वाले - लड़के के लिए रु. 4000 (2000 की 2 किस्तों में) और लड़की के लिए 5000 रुपये (2500 रुपये की 2 किस्त में) और कक्षा 8 में लड़कों के लिए 5000 रुपये और रु. 2 बराबर किस्तों में लड़कियों के लिए 6000 शर्त -55% अंक
7	बच्चों के दादा-दादी/ नाना-नानी द्वारा देखभाल	वृद्ध माता-पिता के लिए वृद्धावस्था पेंशन।	रु.500 प्रति माह
8	आउट ऑफ़ स्कूल बालिकाओं हेतु	कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय	रु.100 प्रति माह
9	लड़कियां जिनके माता-पिता कामकाजी है और छोटे भाई-बहनों के साथ रहते है	कन्या सुमंगला योजना।	कक्षा 1 में प्रवेश के समय 2000 रु। कक्षा 6 में प्रवेश के समय 2000 रु

## सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति

क्या जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है (हाँ/ नहीं)	यदि हाँ तो तिथि लिखें	प्रधानाध्यापक व एस.एम.सी द्वारा कुल कितने विद्यालयों की सूची तैयार की गयी है	सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभान्वित हो सकने वाले कुल कितने बच्चों का चिन्हांकन कर लिया गया है	कितने बच्चों की सूची ग्राम प्रधान को सौंपी गयी है	कुल कितने बच्चों एवं अभिभावकों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ग्राम प्रधान के द्वारा सुनिश्चित किया गया है

## आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन, नामांकन, मूल्यांकन एवं विशेष प्रशिक्षण हेतु गाइडलाइन

### 1. चिह्नांकन/नामांकन की रणनीति:-

- (1) प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय से सेवित बस्तियों (कैचमेन्ट एरिया) के घरों का आवंटन स्वयं को सम्मिलित करते हुए विद्यालय के समस्त स्टाफ के मध्य इस प्रकार किया जायेगा कि सर्वे में सभी बस्तियाँ/घर आच्छादित हो जायें।
- (2) जनपदों के डायट एवं समस्त निजी बी0टी0सी0 संस्थानों में बी0टी0सी0/डी0एल0एड0 में प्रशिक्षणरत प्रत्येक प्रशिक्षु को प्राचार्य डायट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वे में सम्मिलित किया जायेगा।
- (3) शहरी क्षेत्रों में सर्वे हेतु नगर निगम/नगर पालिका/नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत आदि के अधिकारियों एवं जनपद में काम करने वाली गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ बैठक आयोजित कर असेवित बस्तियों की मैपिंग किया जायेगा।
- (4) शहरी क्षेत्रों के आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन एवं नामांकन हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारी (नगर क्षेत्र) द्वारा प्रधानाध्यापकों के साथ बैठककर सभी बस्तियों को आच्छादित करने हेतु अर्बन सर्वे प्लान तैयार किया जायेगा।
- (5) शहरी क्षेत्रों की असेवित बस्तियों, बाजार क्षेत्र, रेलवे स्टेशन, बस/टैक्सी स्टैंड, रेलवे ट्रैक के किनारे बनी झुग्गी झोपड़ी, नाले/नदी के किनारे बनी बस्तियों में रहने वाले बच्चों के चिह्नांकन हेतु सर्वे में गैर-सरकारी संस्थाओं, एन.एस.एस. एवं स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया जाये तथा प्रधानाध्यापक द्वारा सर्वे हेतु घरों का आवंटन किया जायेगा।
- (6) ईंट भट्टे, कंस्ट्रक्शन साईट, खदानों में काम करने वाले मौसमी पलायन (Migration) से प्रभावित परिवारों के बच्चों का सर्वे पंचायती राज विभाग, समाज कल्याण व श्रम विभाग के सहयोग से किया जायेगा
- (7) प्रधानाध्यापक, एस०एम०सी०अध्यक्ष एवं ग्राम प्रधान का दायित्व होगा कि यदि कोई बच्चा विद्यालय में नामांकित है परन्तु वह अपने माता-पिता के साथ अन्य स्थान पर पलायन करता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक द्वारा ऐसे बच्चे को माइग्रेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जायेगा, जिससे बच्चे को पलायन किए जाने/आने वाले स्थान के निकटतम विद्यालय में प्रमाण पत्र के आधार पर सम्बंधित कक्षा में नामांकित कर नियमित शिक्षा दी जायेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का प्रारूप संलग्न है।
- (8) विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों का चिह्नांकन भी हाउस होल्ड सर्वे के साथ किया जायेगा ताकि ऐसे बच्चों के नामांकन एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सके। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के चिह्नांकन के लिए उनकी दक्षता, क्रियाशीलता व कार्य कुशलता से संबंधित बाधाओं (बैरियर्स) की जाँच हेतु स्क्रीनिंग चेकलिस्ट का प्रयोग किया जायेगा।
- (9) प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थापित कारखानों, फैक्टरी, खादान, व परम्परागत कुटीर/लघु उद्योग आदि में कार्यरत बंधुआ मजदूरों एवं बालश्रमिकों की पहचान श्रम विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे बालश्रमिक बच्चों की सूचना उपश्रमायुक्त/सहायक श्रमायुक्त द्वारा सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सर्वे प्रपत्र में दिए गए विवरण सहित उपलब्ध करायी जायेगी ताकि इनका नामांकन कराया जा सके।
- (10) विद्यालय परिसर में संचालित आंगनवाड़ी में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष हो, उन्हें प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा-1 में अनिवार्यतः प्रवेश कराया जायेगा।
- (11) बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 11 से 14 वर्ष की आउट ऑफ स्कूल किशोरी बालिकाओं का चिह्नांकन आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा किया गया है। खण्ड शिक्षा अधिकारी आउट ऑफ स्कूल किशोरियों की सूची जिला कार्यक्रम अधिकारी, सी.डी.पी.ओ. से प्राप्त कर विद्यालय के प्रधानाध्यपकों से सत्यापन कराते हुए विद्यालय में नामांकित करायें।

- (12) अमान्य विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को प्रोत्साहित कर परिषदीय विद्यालयों में नामांकन कराया जायेगा। अमान्य विद्यालयों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- (13) विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने हेतु ग्राम प्रधान, विद्यालय प्रबन्ध समिति, माँ समूह एवं स्थानीय राय निर्माताओं (ओपिनियन बिल्डर्स) का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।
- (14) यदि विद्यालय में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के भाई/बहन किसी विद्यालय में नामांकित नहीं है अर्थात् आउट ऑफ स्कूल हैं तो शिक्षामित्र/अनुदेशक/अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा उनके माता-पिता से सम्पर्क कर इन बच्चों का नामांकन प्रत्येक दशा में विद्यालय में कराया जायेगा।

## 2. मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में शामिल करना

- (1) पलायन एक बड़ी चुनौती है। पलायन आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य कारणों से हो सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन में एक तरफ मुख्य चुनौती ऐसे बच्चों को कभी नामांकित नहीं हुए हैं अथवा विद्यालय में नामांकित होते हुए भी अपने माता-पिता या परिवार के साथ 5 से 7 महीने के लिये पलायन कर जाते हैं, जिसके कारण वे स्कूली शिक्षा से वंचित रहते हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत से परिवार हैं जो अपने बच्चों के साथ राज्य के अन्दर या राज्य के बाहर किसी अन्य जिलों में मौसमी पलायन करते हैं। वहीं दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों के कई गरीब परिवार अपने बच्चों के साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगठित और गैर संगठित उद्योगों में काम करने के लिये आते हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के कई जिले इन माइग्रेशन एवं आउट माइग्रेशन से प्रभावित हैं।
- (2) इन माइग्रेशन (प्रवासन) के क्षेत्र अर्थात्, ऐसे क्षेत्र (जिले, ब्लॉक, गाँव) जहां से श्रमिक पलायन करके आते हैं, उन्हें पहचानने की आवश्यकता है।
- (3) आउट माइग्रेशन (बाहर प्रवास) के क्षेत्र अर्थात्, उन क्षेत्रों का मैपिंग करने की आवश्यकता है जहां निर्माण कार्य में सहयोग हेतु श्रमिक पलायन करके जाते हैं। चूंकि माइग्रेशन कृत्रिम रूप से निर्मित सीमाओं को परिभाषित करता है इसलिए विशिष्ट माइग्रेशन से प्रभावित क्षेत्रों (माइग्रेशन पॉकेट/बेल्ट) को चिह्नित करना होगा।
- (4) उत्तर प्रदेश में वर्तमान शिक्षा व्यवस्था मौसमी पलायन के कारण बच्चों की शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों के सम्बन्ध में विचार करना आवश्यक है, जो बच्चे मौसमी पलायन करके किसी गांव में आते हैं वहीं दूसरी तरफ जो बच्चे गांव से पलायन करके किसी अन्य स्थानों पर जाते हैं उनके बारे में कोई ठोस कदम उठाया जाना है। उत्तर प्रदेश में मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिये यह दिशानिर्देश तैयार किये गये हैं।
- (5) मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा में लाने के लिये उत्तर प्रदेश में आने व जाने वाले क्षेत्रों के लिये निम्नलिखित कदम उठाये जाने हैं- प्रत्येक स्कूल को मौसमी पलायन से प्रभावित बच्चों के लिये दो अलग-अलग रजिस्टर बनाने होंगे। 'इन माइग्रेशन रजिस्टर एवं आउट माइग्रेशन रजिस्टर।' इन माइग्रेशन रजिस्टर में उन बच्चों का विवरण होगा जो किसी दूसरे स्थान से पलायन करके आ रहे हैं जबकि आउट माइग्रेशन रजिस्टर में उन बच्चों का विवरण होगा जो किसी दूसरे स्थान पर पलायन करके जा रहे हैं।

### इन माइग्रेशन करने वाले बच्चों का विवरण सम्बंधी प्रारूप (विद्यालय स्तर पर उपयोग हेतु)

बच्चे का पूरा नाम	आधार नम्बर यदि उपलब्ध है	जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	विद्यालय का नाम	गांव/ वार्ड का नाम	विकास खण्ड	उद्योग का प्रकार	पलायन की औसत अवधि (माह)	राज्य का नाम जहां से बच्चा पलायन करके आया है	जिला का नाम जहां से बच्चा पलायन करके आया है

## आउट माइग्रेशन करने वाले बच्चों का विवरण सम्बंधी प्रारूप (विद्यालय स्तर पर उपयोग हेतु)

बच्चे का पूरा नाम	आधार नम्बर यदि उपलब्ध है	जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	विद्यालय का नाम	गांव/ वार्ड का नाम	विकास खण्ड	उद्योग का प्रकार	पलायन की औसत अवधि (माह)	राज्य का नाम जहां बच्चा पलायन करके गया है	जिला का नाम जहां बच्चा पलायन करके गया है

(6) माह फरवरी में नये शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पूर्व और दूसरी माह नवम्बर में जब अधिकांश पलायन हो रहा होता है तब विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक आयोजित की जाय। बैठकों में स्कूल द्वारा बनाये गये दोनों रजिस्ट्रों पर विचार करना है एवं नमूना के आधार पर आंकड़ों की प्रमाणिकता को सत्यापित करना है। बैठक में निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जाये:-

- मौसमी पलायन के कारण स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या,
- वर्तमान शैक्षणिक सत्र में अनुपस्थिति की औसत अवधि,
- आयु संगत कक्षा में नामंकन तथा विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता,
- ग्राम पंचायत, ब्लॉक एवं जिला शिक्षा कार्यालयों के लिये सुझाव।

### 3. अभिभावकों को प्रेरित करने हेतु संवेदीकरण (Triggering)

आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन हेतु एस.एम्.सी. सदस्यों एवं अध्यापकों द्वारा मोहल्ला बैठकों का आयोजन किया जायेगा। जिनमें नेहरु युवा केंद्र/एन.एस.एस./स्काउट गाइड के कार्यकर्ताओं का भी यथासंभव सहयोग लिया जायेगा। मोहल्ला बैठकों में निम्न बिन्दुओं पर शिक्षा के महत्व के संबंध में चर्चा की जायेगी तथा समुदाय को प्रेरित किया जाएगा-

- सभी बच्चों को स्कूल में पढ़ाना क्यों जरूरी है?
- सभी बच्चों को रोज स्कूल भेजना क्यों जरूरी है?
- बच्चों के स्कूल न जाने से क्या-क्या नुकसान है?
- क्या स्कूल में जो सिखाया जाता है, वह बाहर भी सीख सकते हैं?
- क्या बिना पढ़े-लिखे कोई अच्छा इन्सान/ अधिकारी बन सकता है?
- पढ़े-लिखे बच्चे और बिना पढ़े-लिखे बच्चे में क्या-क्या अंतर होता है?
- क्या आपको पता है, 6 से 14 वर्ष का बच्चा पढ़ाई बीच में छोड़ चुका है तो क्या वह फिर से स्कूल में पढ़ने जा सकता है?
- आपके मोहल्ले से कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं?
- आपके मोहल्ले से 6 से 14 वर्ष के कितने बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हैं ?
- क्या आप उन बच्चों के नाम बता सकते हैं जो विद्यालय पढ़ने नहीं जाते हैं?
- क्या उन बच्चों का प्रवेश विद्यालय में कराना चाहिए?

अध्यापक द्वारा चर्चा के दौरान 7 से 14 वर्ष के जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनका नाम नोट किया जाएगा तथा इन बच्चों के अभिभावक से संपर्क कर विवरण एकत्रित किया जायेगा एवं हाउस होल्ड सर्वे प्रपत्र में अंकित किया जायेगा।

### 4. स्पेशल एजुकेटर एवं नोडल अध्यापक की व्यवस्था, कार्य एवं दायित्व

(1) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा ब्लॉक स्तर पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स (IT/RT) के मध्य न्याय पंचायतों का आवंटन किया गया है तथा उन्हें न्याय पंचायतवार आवंटित विद्यालयों में आउट ऑफ स्कूल के चिन्हीकरण, नामांकन एवं

नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मूल्यांकन, विशेष प्रशिक्षण के संचालन, उपस्थिति, एवम् शैक्षणिक प्रगति के नियमित अनुश्रवण एवं सहयोग प्रदान किये जाने का दायित्व प्रदान किया जाएगा।

- (2) स्पेशल एजुकेटर द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कक्षा 2 से 8 में नामांकित समस्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों का शारदा एप्प के माध्यम से मूल्यांकन निर्धारित अवधि में नोडल अध्यापक द्वारा किया गया है।
- (3) स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा प्रतिमाह 20 विद्यालयों का अनुश्रवण किया जायेगा एवं आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिन्हांकन, नामांकन, मूल्यांकन एवं उपस्थिति के सम्बन्ध में सूचना शारदा एप्प के माध्यम से अपलोड कराया जायेगा।
- (4) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में आउट ऑफ स्कूल बच्चों के प्रबंधन एवं विशेष प्रशिक्षण हेतु एक नोडल अध्यापक नामित गया है।
- (5) नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के मूल्यांकन, विशेष प्रशिक्षण, उपस्थिति, ठहराव, प्रदान की जाने वाली सुविधाओं, शैक्षिक एवम् शिक्षण सहगामी गतिविधियों आदि का विशेष ध्यान रखने का दायित्व प्रदान किया जाए।
- (6) नोडल अध्यापक द्वारा परिषदीय विद्यालयों में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों को निःशुल्क 02 सेट यूनीफार्म, पाठ्यपुस्तक, स्वेटर, जूता-मोजा एवं स्कूल बैग की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।

#### **5. आउट ऑफ स्कूल बच्चों का प्रारम्भिक मूल्यांकन (बेसलाइन एसेसमेन्ट):-**

- (1) विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में नामांकित प्रत्येक आउट ऑफ स्कूल बच्चे का मूल्यांकन (बेसलाइन एसेसमेन्ट) नोडल अध्यापक द्वारा शारदा एप्प के माध्यम से किया जायेगा।
- (2) मूल्यांकन चार चरणों में किया जायेगा
  - प्रथम मूल्यांकन (बेसलाइन एसेसमेन्ट)-विद्यालय में नामांकन के 15 दिन के बाद
  - तीसरा मूल्यांकन- माह जनवरी
  - दूसरा मूल्यांकन- माह अक्टूबर
  - चौथा मूल्यांकन-माह मार्च
- (3) बच्चों के अधिगम संप्राप्ति के आधार पर नोडल अध्यापक द्वारा नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों के शिक्षण हेतु शिक्षण योजना तैयार की जायेगी।

#### **6. उपस्थिति एवं ठहराव :-**

- (1) नोडल अध्यापक द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों की माहवार नियमित उपस्थित शारदा एप्प के माध्यम से अंकित की जाएगी।
- (2) यदि बच्चा लगातार एक सप्ताह तक अनुपस्थित रहता है तो सम्बन्धित नोडल अध्यापक द्वारा बच्चे के माता-पिता से व्यक्तिगत सम्पर्क किया जायेगा और बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया जायेगा।
- (3) इसके उपरान्त भी यदि बच्चा अनुपस्थित रहता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा व्यक्तिगत प्रयास किया जायेगा। प्रधानाध्यापक के प्रयास के बावजूद भी यदि बच्चा उपस्थित नहीं होता है तो नोडल अध्यापक एवं
- (4) प्रधानाध्यापक द्वारा SMC के सदस्यों एवं समुदाय के प्रभावशाली लोगों को साथ लेकर बच्चे के माता-पिता अथवा अभिभावक को प्रेरित कर बच्चे की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी।
- (5) विद्यालय प्रबन्ध समिति की मासिक बैठक में आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों की उपस्थिति पर विचार-विमर्श विशेष रूप से किया जायेगा और अनियमित रहने वाले बच्चों को, नियमित रूप से विद्यालय भेजने हेतु विद्यालय प्रबन्ध समिति का सहयोग लिया जायेगा। इस सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक की कार्यवाही रजिस्टर में अनिवार्य रूप से दर्ज की जायेगी तथा प्रेरणा एप्प के एस०एम०सी० गतिविधि माड्यूल पर सूचना अपलोड की जायेगी।
- (6) छात्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों में नियमित त्रैमासिक अभिभावक-अध्यापक बैठक (पी0टी0एम0) आयोजित की जायेगी। बैठक में विद्यालय के अध्यापक द्वारा छात्र-छात्राओं के अभिभावकों से बच्चे की

उपस्थिति एवं उपलब्धि (अधिगम) स्तर के सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया जायेगा। एसोसिएशन की बैठक त्रैमासिक रखी जायेगी, जो माह अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के द्वितीय सोमवार को आयोजित की जाएगी।

- (7) विद्यालय में नियमित रूप से उपस्थित हो रहे बच्चों को नोडल अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा प्रोत्साहित किया जायेगा ताकि अन्य बच्चों को प्रेरणा मिल सके। नोडल अध्यापक द्वारा इन बच्चों को विद्यालय में पुस्तकालय एवं खेल-कूद की सुविधाओं का लाभ देने के पर्याप्त अवसर दिये जायेंगे। अध्यापकों द्वारा खेल-कूद हेतु आवश्यक उपकरण/सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
- (8) आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विद्यालय में ठहराव एवं मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के मानदंडों के आधार पर प्रधानाध्यापक एवं एस.एम.सी. सदस्यों द्वारा बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा। प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों के विवरण के साथ लाभान्वित हो सकने वाली योजनाओं का नाम प्रारूप में भरा जायेगा जिसका लाभ बच्चे/परिवार को सुनिश्चित कराने के लिए किया जायेगा। योजनाओं से लाभान्वित होने वाले बच्चे/अभिभावक हेतु मापदंड के विवरण का प्रारूप संलग्न-5 देखें।
- (9) विद्यालयों में नामांकित अन्य बच्चों को भी उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित किया जा सकता है।
- (10) नोडल-अध्यापक/प्रधानाध्यापक एवं एस. एम. सी. द्वारा बच्चों का विवरण तथा उनके अभिभावकों का नाम तथा लाभान्वित की जा सकने वाली योजनाओं के विवरण सहित सूची ग्राम प्रधान को प्रस्तुत की जायेगी। ग्राम प्रधान द्वारा आउट ऑफ स्कूल बच्चों के परिवार को योजनाओं के लाभ हेतु प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- (11) एस. एम. सी. सदस्यों एवं अध्यापकों द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त सूची को ग्राम प्रधान द्वारा अपने स्तर से सत्यापन करते हुए अंतिम सूची तैयार की जायेगी, तथा उसे ब्लॉक /जनपद स्तरीय सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को उपलब्ध कराया जायेगा जिससे बच्चे/ परिवार लाभान्वित किया जा सकेगा।
- (12) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बंधित विभाग के अधिकारियों के साथ जिलाधिकारी /मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित करायेगे तथा पात्रता के आधार पर बच्चों एवं अभिभावकों को योजना का लाभ सुनिश्चित करायेगे।

#### **7. आयुसंगत कक्षा में नामांकित आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था :-**

- (1) विशेष प्रशिक्षण हेतु समस्त विद्यालय के नोडल अध्यापक को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया गया है, जिनके द्वारा बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
- (2) विशेष प्रशिक्षण हेतु बच्चों के लिए अधिगम सामग्री तथा संघनित पाठ्य पुस्तकें (कंडेंस्ड टेक्सट बुक्स), आदि उपलब्ध करायी जाएंगी। विद्यालय में नामांकन के उपरान्त बच्चों को अपेक्षित अधिगम स्तर तक लाने हेतु आवश्यकतानुसार विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- (3) कोविड-19 महामारी के कारण विद्यालय बंद रहे हैं जिससे बच्चों का शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। उक्त अवधि में अध्यापकों द्वारा बच्चों को विभिन्न माध्यमों (यथा ई-पाठशाला, मोहल्ला पाठशाला, दीक्षा, व्हट्सएप्प, दूरदर्शन एवं आकाशवाणी) के माध्यम से शिक्षण कार्य किया गया है किन्तु यह संभव है कि कुछ बच्चे शिक्षण के इन अवसरों से वंचित रह गए होंगे (children without learning opportunities) जिन्हें पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े जाने की आवश्यकता है।
- (4) विशेष प्रशिक्षण की समाप्ति के उपरान्त नोडल अध्यापक/प्रधानाध्यापक द्वारा इन बच्चों का वार्षिक परीक्षा के माध्यम से अंतिम मूल्यांकन किया जायेगा और 01 अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले नवीन शैक्षिक सत्र में इन बच्चों को आयुसंगत कक्षा की मुख्य धारा में सम्मिलित किया जायेगा, तथा स्पेशल एजुकेटर्स द्वारा नियमित अनुसमर्थन प्रदान किया जाएगा।
- (5) विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था हेतु विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं नोडल अध्यापक तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड स्तर पर खण्ड शिक्षा अधिकारी तथा जनपद स्तर पर जिला समन्वयक (प्रशिक्षण एवं सामुदायिक सहभागिता) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी इस कार्य हेतु उत्तरदायी होंगे।

## 8. डाटा सिस्टम: आउट ऑफ स्कूल बच्चों से संबंधित आँकड़ों का रख-रखाव

- (1) हाउसहोल्ड सर्वे में चिह्नित आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विवरण एवं बच्चों के विद्यालय में नामांकन का विवरण सर्वे प्रपत्र में भरा जायेगा, सर्वे प्रपत्र के विवरण को नोडल-अध्यापक द्वारा शारदा मोबाइल एप्प/ डी.बी.टी. मोबाइल एप्प अथवा प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किया जायेगा।
- (2) पोर्टल पर पंजीकृत बच्चा शारदा मोबाइल एप्प में नोडल अध्यापक लॉग-इन एवं स्पेशल एजुकएटर लॉग-इन तथा शारदा पोर्टल पर BEO, BSA के लॉग इन पर प्रदर्शित होगा।
- (3) नोडल-अध्यापक द्वारा आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों का मूल्यांकन, उपस्थिति, अधिगम स्तर के क्रमिक वृद्धि हेतु त्रैमासिक मूल्यांकन आदि को शारदा मोबाइल एप्प के माध्यम से समय-समय पर अपलोड एवं अपडेट किया जाएगा।
- (4) विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों को शारदा एप्प के माध्यम से माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।
- (5) सर्वे में चिह्नित आउट ऑफ स्कूल बच्चों का विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराया जायेगा।
- (6) खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का विवरण, आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स से मैपिंग, आउट ऑफ स्कूल बच्चों की त्रैमासिक उपस्थिति का विवरण एवं मेनस्ट्रीमिंग का विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड/अपडेट किया जायेगा।


## 9. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग:-

- (1) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी का यह दायित्व होगा कि सर्वे अवधि में विद्यालयवार आउट ऑफ स्कूल बच्चों के चिह्नांकन एवं नामांकन की प्रगति का प्रतिदिन शारदा पोर्टल के माध्यम से अनुश्रवण करेंगे।
- (2) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा स्टेट रिसोर्स ग्रुप (एस.आर.जी.) एवं अकादमिक रिसोर्स पर्सन (ए.आर.पी.) को निर्देश दिया जाये कि वे विद्यालय भ्रमण में आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, ठहराव, मूल्यांकन, विशेष प्रशिक्षण और उनके अधिगम स्तर पर विशेष रूप से अनुश्रवण करेंगे। एस.आर.जी. एवं ए.आर.पी. द्वारा नोडल अध्यापकों को अकादमिक अनुसमर्थन प्रदान करेंगे तथा अपनी रिपोर्ट में इसका अनिवार्यतः उल्लेख करेंगे।
- (3) जिला समन्वयक (सामुदायिक सहभागिता) द्वारा प्रतिदिन 'शारदा-पोर्टल' पर कार्यक्रम की प्रगति का अवलोकन किया जाएगा और उसकी अद्यतन जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही अपेक्षाकृत कम प्रगति वाले विकास खण्डों/विद्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- (4) नामांकन के उपरान्त, नोडल अध्यापक द्वारा शारदा एप्प पर बच्चों का मूल्यांकन एवं उपस्थिति के विवरण को अवश्य अपडेट किया जाये। खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिदिन कम-से कम एक बार तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सप्ताह में कम-से-कम एक बार शारदा पोर्टल को लॉगिन कर पोर्टल पर प्राप्त सूचनाओं के आधार पर 'शारदा कार्यक्रम' की समीक्षा की जाएगी।
- (5) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली समीक्षा बैठकों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा शारदा पोर्टल पर प्रगति का प्रदर्शन किया जाएगा और पोर्टल पर उपलब्ध डाटा के आधार पर कार्यक्रम की समीक्षा करायी जायेगी।
- (6) बच्चों के मेनस्ट्रीमिंग की प्रगति का अनुश्रवण भी शारदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

\*\*\*\*\*

# यूजर मैनुअल


## परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप



The screenshot shows the website of the Department of Basic Education, U.P. The page features the Nipun Bharat logo on the left, which includes the text 'उत्तर प्रदेश सरकार' (Uttar Pradesh Government) and 'NIPUN BHARAT'. The main heading reads 'Department of Basic Education, U.P.'. Below this, there is a section titled 'About Nipun Bharat' with a paragraph describing the program as a flagship initiative to improve education quality in 1.6 lakh schools across the state, focusing on foundational learning skills like reading and basic math.


[WWW.PRERNAUP.IN](http://WWW.PRERNAUP.IN)

STEP 1: अध्यापक लॉग इन करें।




STEP 2: लॉग इन करने के उपरांत स्क्रीन पर **परिवार सर्वेक्षण हेतु प्रारूप** का लिंक मिलेगा जिसको


क्लिक करने के उपरांत **सर्वेक्षण परिवार हेतु प्रारूप** का पेज ओपन होगा .



**STEP 3 : आपको यह पेज प्रदर्शित होगा जिसमें आपको अपनी ग्राम पंचायत/ वार्ड के परिवार की जानकारी दर्ज करनी है**



**STEP4: परिवार के मुखिया के जानकारी दर्ज करने के उपरांत आपको उनके परिवार में सदस्यों की संख्या जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो उनकी जानकारी दर्ज करनी है। सर्वप्रथम संख्या दर्ज करने के उपरांत आपको उतने ही लोगो के जानकारी भरने के लिए प्रारूप ओपन हो जायेगा।**



सदस्यों की जानकारी भरने के उपरांत आपको परिवार में बच्चों की संख्या (जिनकी उम्र 0-14 वर्ष की हो) उनकी संख्या दर्ज करनी है .

The screenshot shows a web application interface for adding family details. At the top, there is a 'Save' button. Below it, a section titled 'परिवार के सदस्यों की जानकारी' (Family Members Information) contains a text input field for the number of family members (aged 18 and above) with the value '2'. Below this is a table with columns: क्र.स (Sl. No.), नाम (Name), आयु (Age), लिंग (Gender), मोबाइल नं० (Mobile No.), and मुखिया से सम्बन्ध (Relationship to Head). The table has two rows with empty fields. A callout bubble points to the 'बच्चों की संख्या' (Number of Children) field, containing the text '0-14 वर्ष बच्चों की संख्या दर्ज करे' (Enter the number of children aged 0-14 years). Below this is a section titled 'बच्चों की जानकारी' (Children Information) with a text input field for the number of children (aged 0-14) with the value '2'. Below this is a table with columns: क्र.स (Sl. No.), बच्चे का नाम (Child's Name), आयु (Age), लिंग (Gender), पिता का नाम (Father's Name), माता का नाम (Mother's Name), मुखिया से सम्बन्ध (Relationship to Head), क्या बच्चा किसी विद्यालय में नामांकित है (हर्न/नहीं) (Is the child enrolled in any school (Yes/No)), यदि हाँ तो कक्षा (If Yes, then Class), विद्यालय -यू.हायस/आंगनवाड़ी-केन्द्र का कोड (School - U. Haas/Anganwadi - Center Code), and विद्यालय नाम/आंगनवाड़ी केन्द्र का नाम (School Name/Anganwadi Center Name). The table has two rows with empty fields. At the bottom, there is a copyright notice: 'Copyright © 2019-2020 Technosys Services. All rights reserved.' and 'Version 2.4.0'.

0-14 वर्ष बच्चों की संख्या दर्ज करने के उपरांत आपको बच्चों की जानकारी भरने के लिए पेज ओपन होगा जिसको भरने के उपरांत फाइनल सेव करना होगा। 07-14 आयु-वर्ग के आउट-ऑफ-स्कूल बच्चों का विवरण गत वर्ष की भाँति ही शारदा/प्रेरणा पोर्टल/मोबाइल एप्प से भरा जाएगा।

नोट : यदि भविष्य में कभी भी परिवार के सदस्यों की जानकारी या बच्चों की जानकारी को अपडेट / नया जोड़ना है तो (सदस्य जोड़े / बच्चे जोड़े के बटन से जोड़ सकते हैं।)